

प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा का अधिकार

अनिता कुरुप

बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.एक्ट 2009) पारित किया जाना बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। आज हर बच्चे को प्रारम्भिक स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का हक हासिल है। इस तथ्य की बढ़ती हुई स्वीकार्यता को देखते हुए कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, भारत की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को विविध प्रकार की पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए सक्षम बनने की आवश्यकता है। आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के अन्तर्गत, सभी को समाहित करने वाली शिक्षा को आधार–दर्शन और दृष्टिकोण के रूप में अपनाना तथा वास्तविक व्यवहार में उसे प्रदर्शित करना स्कूली व्यवस्था की विवशता बन गई है। समावेशी शिक्षा में लिंग के आधार पर बराबरी को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बच्चों, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों, शारीरिक तथा सीखने की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों और प्रतिभाशाली तथा मेधावी बच्चों, सभी की शिक्षा शामिल हैं।

भारत की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शामिल करना अत्यन्त कठिन कार्य है। संसाधनों की गम्भीर कमी के संकट के चलते, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन प्रदान किए जाने की दलील देना मुश्किल प्रतीत हो सकता है। सभी के लिए शिक्षा के समान अवसरों के सिद्धान्त को स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है। परन्तु, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के पक्षधर मानते हैं कि ये प्रावधान ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि राज्य प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी से मुँह न मोड़े क्योंकि इससे गरीबों के प्रतिभाशाली बच्चों का सबसे अधिक नुकसान होगा।

एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न होता है, और उनके बीच के अन्तर अनेक कारकों (जैसे कि बुद्धि, सृजनात्मकता, योग्यता, वातावरण, आनुवांशिक पृष्ठभूमि, पोषण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों सहित अन्य) के जटिल समूह का परिणाम होते हैं, तथा इन सभी के गम्भीर शैक्षणिक निहितार्थ होते हैं। सभी बच्चे उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के उनके हक की दृष्टि से बराबर होते हैं, परन्तु वह उपयुक्त शिक्षा क्या होगी वह किसी भी दिए गए कैलेण्डर वर्ष में पैदा हुए सभी बच्चों के लिए समान नहीं होती। एक शिक्षक को प्रभावशाली होने के लिए हर बच्चे के सीखने को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही पाठ्यक्रम की परिपाटी से आगे बढ़कर उसे उन बच्चों की असमानताओं पर ध्यान देते हुए उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करना होगा। दूसरे शब्दों में, जब पाठ्यक्रम तथा शिक्षण में अलग–अलग बच्चों की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं किया जाता तो मेधावी तथा प्रतिभाशाली बच्चों के हितों की सबसे अधिक क्षति होती है।

हौब एवं शर्मा ने भारत को "ऐसे अनेक देशों का समूह कहा है जिन्हें साझा नियति तथा सफल लोकतंत्र के सूत्र ने साथ बाँधा हुआ है" (2006, पृ. 3)। भारत में 6 से 14 साल की स्कूल में पढ़ने की उम्र के 19 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं (मेहता, 2007)। सामान्य सम्भाविता को मानते हुए, प्रतिभावान बच्चों की संख्या कुल आबादी का लगभग 3 प्रतिशत, अर्थात लगभग 60 लाख होगी। उनके लिए एक परिपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करने की दृष्टि से उनकी इतनी बड़ी संख्या अपने आप में एक विराट चुनौती साबित होगी। इसके अलावा, भारत की 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। तुलनात्मक रूप से देखें तो इस आबादी का शैक्षिक स्तर कम होता है, गरीबी ज्यादा होती है, और आधुनिक सुविधाओं तक उनकी पहुँच भी कम होती है (हौब एवं शर्मा, 2006)। लोगों के विभिन्न समूहों की संसाधनों तक पहुँच तथा समस्याओं की जानकारी में अन्तर होने से उनके ऐसे गठबन्धन बनने में बाधा आती है जो सक्रिय रूप से देश में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का परिवेश बदल सकें।

भारत ने अतीत में विज्ञान तथा गणित में उच्च योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के कुछ छुटपुट प्रयास किए हैं। 1986 में, भारत ने नवोदय विद्यालय योजना की शुरुआत करके शिक्षा की, विशेष रूप से ग्रामीण भारतीय आबादी तथा अल्पसंख्यक आबादी की शिक्षा की, सर्वांगीण गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया (राइट, 2008)। इसके साथ ही, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ – जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (नेशनल टेलेंट सर्च) परीक्षा, गणित तथा विज्ञान में ओलम्पियाड परीक्षाएँ, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति परीक्षा – तथा अन्य प्रतिभा खोज कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। ये परीक्षाएँ विद्यार्थियों के द्वारा हासिल किए गए ज्ञान तथा कौशलों का परीक्षण करती हैं। परन्तु, अकसर अनेक प्रतिभावान तथा मेधावी बच्चे चुनाव की ऐसी प्रक्रिया के बाहर छूट जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि वे "... कुशलतापूर्वक परीक्षा देने वाले तथा अच्छी तरह पाठ सीखने वाले बच्चों के साफ–सुथरे रूढ़िवादी खाँचों में फिट न बैठते हों" (रैन्जुली, 2005, पृ. 80)।

प्रतिभावान बच्चे वे होते हैं जो अपने आयु वर्ग के अन्य बच्चों की तुलना में उच्चतर योग्यता या उच्चतर योग्यता की अन्तर्निहित सम्भावना प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी योग्यता एक आवश्यकता भी दर्शाती हैः प्रतिभाशाली बच्चों का संतोषजनक ढंग से उच्च श्रेणी का शैक्षिक विकास करने के लिए उच्च श्रेणी की शैक्षिक सामग्री की आवश्यकता होती है।

प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ताओं के बीच प्रतिभा की अवधारणा पर अभी भी बहस चलती रहती है। जहाँ प्रतिभा की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एक परिभाषा नहीं हैं, वहीं उसकी कई अलग–अलग परिभाषाएँ फ्रान्कोइस गाग्ने, जोसेफ स्टर्नबर्ग, तथा हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। प्रतिभा के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतिरूपों में से एक रैन्जुली का थ्री रिंग मॉडल (तीन छल्लों वाला प्रतिरूप) है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

अ) औसत से काफी अधिक योग्यता : योग्यता (बुद्धिमत्ता) का औसत से अधिक होना आवश्यक होता है, पर उसका विलक्षण होना जरूरी नहीं है। योग्यता की अवधारणा को आई.क्यू. (बुद्धिमत्ता गुणांक) के मानक विचलनों के रूप में समझा जाता है।

ब) सृजनात्मकता : यह असमान विचारों में सम्बन्ध बनाने की, विश्लेषणात्मक ढंग से (तथा समन्वयात्मक ढंग से) और हटकर सोच सकने की तथा समस्याओं के असामान्य किन्तु उपयुक्त समाधान प्रस्तुत कर सकने की क्षमता होती है। किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए सृजनात्मकता का केन्द्रीय महत्त्व होता है : उपलब्धि का आशय, चीजों को याद कर लेने से आगे बढ़कर, हासिल किए गए ज्ञान का किसी नए उत्पाद या नए विचार को विकसित करने के लिए उपयोग करना होता है।

स) कार्य के लिए प्रतिबद्धता : यह अपनी रुचि के किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करने की योग्यता होती है। रैन्जुली कार्य के लिए प्रतिबद्धता के सन्दर्भ में आवश्यक कुछ व्यवहारगत तथा मनोवैज्ञानिक गुणों (जैसे दृढ़ता, लगन, लचीलापन, विषय के प्रति जुनून, कल्पना शक्ति, तथा मानवीय सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता आदि) का उल्लेख करते हैं।

हालाँकि प्रतिभा की कोई एक परिभाषा नहीं है, परन्तु शोधकर्ता प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ साझा विशेषताओं के बारे में सहमत हैं, जो इस प्रकार हैंः

1. तेजी से सीखने वाला होना
2. अभिनव, जटिल तथा चुनौतीपूर्ण समस्याओं में दिलचस्पी होना
3. उच्च भाषा योग्यता तथा उच्च श्रेणी का शब्द भण्डार होना; बहुत अध्ययनशील होना
4. अति ऊर्जावान होना : हो सकता है कि ऐसे बच्चे थोड़े बेचैन और चंचल रहते हों; सामान्य दिनचर्या के कार्यों से ऊब जाते हों
5. जिज्ञासा : असामान्य प्रश्न पूछते हैं ('ऐसा क्यों' और 'यदि ऐसा हो तो क्या होगा') और जो स्वतंत्र रूप से छानबीन करते हैं
6. उच्च–स्तरीय कौशल/सम्बन्ध खोजने की सोच : विभिन्न क्षेत्रों से उपजे विचारों के पारस्परिक सम्बन्धों को पहचानना, उदाहरण के लिए, जब कक्षा में किसी अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हों तो उसे वास्तविक जीवन में उनके द्वारा देखे गए किसी क्रियाकलाप से जोड़ना
7. सृजनात्मकता : गणित के सवाल हल करने के लिए नए सूत्र निकालते हैं, किसी प्रश्न के असामान्य उत्तर देते हैं

8. दृढ़ता, लगन और अपनी रुचि के क्षेत्र में श्रेष्ठ होने की चाहत (हो सकता है कि अंक–स्पर्धा में बेहतर होना प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरित न करें)

9. उच्च स्तरीय अवधारणाओं को समझने की क्षमता

10. परिकल्पना निर्मित करने की सोच, दार्शनिक तथा नैतिक सरोकारों से लगाव

हो सकता है कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा इनमें से केवल कुछ विशेषताएँ दर्शाए। अमेरिका के प्रतिभाशाली बच्चों का राष्ट्रीय संघ (नेशनल एशोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन–एन.ए.जी.सी., यू.एस.) इन व्यापक क्षेत्रों में प्रतिभा को मान्यता देता हैः शैक्षिक, सामान्य या विशिष्ट बौद्धिक योग्यता, सृजनात्मकता, नेतृत्व, दृश्यात्मक–प्रदर्शनात्मक कलाएँ या संगीत, तथा मनोशारीरिक अंग संचालन क्षमताएँ।

दुर्भाग्य से, भारत की सामान्य कक्षाओं में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम तथा क्रियाकलाप का प्रयोजन, व्याख्यान–आधारित शिक्षण तथा चीजों को याद करने को प्रोत्साहित करने वाले लिखित परीक्षा–आधारित मूल्यांकन के माध्यम से, औसत सीखने वाले की जरूरतों को पूरा करना होता है। ऐसी व्यवस्था के भीतर, प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने की सम्भावना बहुत सीमित होती है। बहुत बार, शिक्षक विद्यार्थियों के परीक्षाओं में उच्च उपलब्धियाँ हासिल करने को ही प्रतिभा समझने की भूल कर देते हैं।

प्रतिभा के क्षेत्र में हुए शोधकार्य से प्रकट होता है कि सम्भावित रूप से प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसे बच्चों का होता है जो कक्षा के पारम्परिक ढाँचे में अच्छी तरह काम करने में असफल रहते हैं; वे लिखना पसन्द नहीं करते, परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करते हैं, असामान्य प्रश्न पूछते हैं, या सवालों को हल करने के असामान्य तरीके सुझाते हैं, और इस प्रकार कक्षा की सामान्य दिनचर्या को अस्तव्यस्त कर देते हैं। शिक्षक ऐसे बच्चों की पहचान अकसर परेशानी खड़ी करने वाले बच्चों के रूप में करते हैं। उन मामलों में भी जिनमें एक प्रतिभाशाली बच्चे को (प्रतिभाशाली बच्चे की तरह से नहीं, बल्कि तेजी से सीखने वाले बच्चे के रूप में) पहचान लिया जाता है, शिक्षक ऐसे बच्चों को उनकी अपनी युक्तियों के भरोसे ही छोड़ देते हैं, या उनसे किसी कमजोर बच्चे की सहायता करने को कह देते हैं।

इस धारणा, कि प्रतिभाशाली बच्चे 'अपना काम स्वयं कर सकते हैं', के विपरीत शोध से पता चलता है कि सभी बच्चों की तरह, प्रतिभाशाली बच्चों को भी अपनी अन्तर्निहित सम्भावनाओं को साकार करने के लिए उपयुक्त प्रेरणा, चुनौती तथा सहारे की आवश्यकता होती है। यदि स्कूल का पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च स्तरीय शैक्षिक जरूरतों को पूरा नहीं करता तो वे निम्नलिखित समस्याएँ प्रदर्शित कर सकते हैं :

अ) **कक्षा में आचरण–सम्बन्धी समस्याएँ** : ऊब, चंचलता, अनुशासन की समस्याएँ, बहुत बार स्कूल से नदारद रहना

ब) **निम्न–स्तरीय सामाजिक–भावनात्मक तालमेल** : हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चे अपने को दूसरे बच्चों से कटा हुआ महसूस करें, अपने साथियों के साथ घुल–मिल सकने के लिए अपनी क्षमताओं को छिपाएँ, दुष्ट बच्चों द्वारा सताए जाएँ, या हो सकता है कि वे यह सोचकर परेशान होते रहें कि 'मुझमें क्या गड़बड़ी है?', तथा सबसे अलग रहें।

स) **काम करने की खराब आदतें** : यदि प्रतिभाशाली बच्चों को छोटी उम्र से ही स्कूल में पर्याप्त चुनौती नहीं मिलती, तो हो सकता है कि वे काम करने की खराब आदतें विकसित कर लें। अनेक प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में, माध्यमिक स्कूल या कालेज में पहुँचकर ही पहली बार उनका सामना चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम या समान योग्यता वाले सहपाठी से होता है। जब ऐसा होता है, तो हो सकता है वे इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में उनकी धारणा गलत थी ('मेरा ख्याल था कि मैं होशियार हूँ, लेकिन मैं इस पाठ्यक्रम से पार नहीं पा सकता, इसलिए मैं कभी भी इसे नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कोशिश करना भी बेकार है'), और इस तरह हो सकता है कि वे कभी भी अपनी सम्भावित क्षमता को पूरा न कर सकें।

ये प्रतिभाशाली बच्चों की स्वाभाविक समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि वे तब खड़ी होती हैं जब किसी बच्चे की ऐसी उच्चस्तरीय संज्ञानात्मक जरूरतें होती हैं जिन्हें नियमित कक्षाएँ संतोषप्रद ढंग से पूरा नहीं करतीं।

निष्कर्ष

भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए किसी विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के न होने से, जो युवा प्रतिभाएँ देश की समृद्धि और विकास में मूल्यवान योगदान दे सकती हैं, देश उनकी असामान्य क्षमता का पूरा उपयोग करने के

अवसर से वंचित रह जाता है। देश ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए 2010 में विज्ञान तथा गणित में विशेष प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान करने के लिए उपाय विकसित करने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन एन.आई.ए.एस. के द्वारा किया जाता है जिसमें उसके दो अन्य सहयोगी, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अगस्त्य फाउण्डेशन, हैं। इसके द्वारा ऐसे बच्चों की प्रतिभा पहचानने के लिए परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियों का उपयोग करते हुए अनेक उपाय विकसित किए गए हैं और उनकी पुष्टि की गई है। जहाँ एक ओर शोधकर्ताओं के समूह परीक्षणों के द्वारा उनकी और अधिक पुष्टि करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिभाशाली बच्चों को उपयुक्त मार्गदर्शन देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

यह काम बहुत बड़ा है और इसमें अन्य समूहों के जुड़ने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर कुछ संस्थाएँ – जैसे कोलकाता में जगदीश बोस नेशनल टेलैंट सर्च, पुणे में ज्ञान प्रबोधिनी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्ण मैत्रा द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा पर किया जा रहा शोधकार्य, तथा अन्य अनेक प्रयास – इस कार्य को बढ़ावा दे रही हैं। परन्तु, जरूरत देश के अन्य भागों में इस कार्य का विस्तार करते हुए अनेक अन्य समूहों को निर्मित करने की है, ताकि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का एक राष्ट्रीय आन्दोलन बन सके।

References

- Anitha Kurup and Maithreyi, R (2012) A Review of Challenges in Developing a National Program for Gifted Children in India's Diverse Context. Roeper Review, 34 (4). pp. 215-223. ISSN 1940-865X
- Haub, C., & Sharma, O. P. (2006). India’s population reality: Reconciling change and tradition. Population Bulletin, 61(3), 3–20. Retrieved from http://www.britannica.com/bps/additionalcontent/18/22748170/Indias- Population-Reality-Reconciling-Change-and-Tradition
- Mehta, A. C. (2007). Student flow at primary level: An analysis based on DISE data. New Delhi, India: National Institute of Education Planning and Administration. Retrieved from http://www.dise.in/Downloads/Reports&Studies/Studentflow.pdf
- Renzulli, J. S. (2005). Applying gifted education pedagogy to total talent development for all students. Theory Into Practice, 44(2), 80–89.doi:10.1207/s15430421tip4402_2
- Renzulli, J. S. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental

  model for creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E.Davidson (Eds.), Conception of giftedness (pp. 53–92). New York, NY:Cambridge University Press.
- Wright, B. J. (2008). A global conceptualization of giftedness: A comparison of U.S. and Indian gifted education programmes (Master’sthesis). San Rafael, CA: Dominican University of California. Retrieved from http://www.dominican.edu/academics/education/department-ofeducation/graduate/seed/filestorage/wrightbenjamin.pdf

---

अनिता कुरुप शिक्षा में पीएच.डी. उपाधि प्राप्त हैं। वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज (एन.आई.ए.एस.), बेंगलूरु के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। वे वर्तमान में एन.आई.ए.एस. के शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम की संयोजक भी हैं। उनके शोध की रुचियों के क्षेत्र प्रमुख रूप से शिक्षा तथा लिंगभेद हैं। उनसे bkanitha@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद : सत्येन्द्र त्रिपाठी**